पद्धतियों को मिलाने से रोकने का अनुरोध किया था । तथापि विभिन्न पद्धतियों में सहयोग की बात पर अनुसंधान स्तर पर विचार किया जा सकता है ।

चीनी के उपयोग को कम करना

754. **डा. जिनेन्द्र कुमार जैन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जैनेवा स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है कि चीनी के उपयोग को कम किया जाए ;

(ख) यदि हा, तो उक्त प्रस्ताव में अंतर्विष्ट विस्तृत जानकारी क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव में उल्लिखित आशंका की स्वयं कोई जांच कराई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री, साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान): (क) भारत सरकार को ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है ।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

सर्विस डाक्टरों के साथ हुये समझौते का कार्यान्वयन

755. **डा. जिनेन्द्र कुमार जैन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्वाइंट कांउसिल आफ सर्विस डाक्टर्स आर-गेनाइजेशन से हाल ही में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उसने अगस्त, 1989 में सरकार के साथ हुये समझौते का कार्यान्वित न किये जाने के संबंध में अपनी नाराजगी प्रकट की है ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन की मुख्य बातें क्या-क्या हैं ; और

(ग) सरकार सर्विस डाक्टरों से टकराव से बचने के लिये क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

ऊर्जा मंत्री, साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) सेवारत डाक्टर संघों की संयुक्त कार्रवाई परिषद का गठन मुख्य रूप से 1-10-1987 से प्रोन्नतियां देने, वर्तमान पदों के अलावा 134 सुपर टाइम ग्रेड पद बनाने, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अतिरिक्त पद बनाने, वाहन भत्ता देने पर से शर्तें हटाने, उच्चाधिकार प्राप्त समिति की संरचना में परिवर्तन करने तथा सरकारी आवास के लिये पात्रता निश्चित करने हेतु प्रैक्टिसबन्दी भत्ते को गिनने के लिये किया गया था ।

सभी स्तरों पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की कुल संख्या को 134 तक बढ़ाने का कोई इरादा/समझौता नहीं हुआ है । वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के 134 अतिरिक्त पदों का सृजन केवल उनका दर्जा बढ़ा कर किया जाना था । मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के अतिरिक्त पदों का सृजन 21-8-1989 के समझौता ज्ञापन का एक भाग है । वाहन भत्ता देने संबंधी असुविधाजनक शर्तें हटा ली गई हैं । 21-8-1989 के समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की तारीख अर्थात् 1-10-1987, वाहन भत्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के लिये स्नातकोत्तर भत्ता, आकस्मिकता भत्ता और प्रैक्टिस-बन्दी भत्ता जैसे वित्तीय लाभ लागू होने की तारीख है । प्रोन्नतियां भूतलक्षी प्रभाव से दी जानी हैं । यह निर्णय किया गया है कि सामान्य पूल आवास आवंटित करने के लिये पात्रता निश्चित करने के लिये प्रैक्टिस-बन्दी भत्ते को नहीं गिनाजायेगा । तथापि यह 21-8-1989 के समझौता ज्ञापन का भाग नहीं हैं । सेवारत डाक्टर संघों की संयुक्त कार्रवाई समिति की इच्छा के अनुसार उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन कर दिया गया है ।